पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 188/2020

1. रोहताश कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी वेर त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. हनुमान पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी वेर त0 भादरा।
2. उत्तमसिंह पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी वेर त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री भानुप्रतापसिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 6 सीएचएन के खाता सं0 133/130 के मु0 न0 24 किला न0 23 व 24, मु0 न0 27 किला न0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17/2, 18 की 2.403है0 नहरी खातेदारी व चक 6 सीएचएन के खाता सं0 134/131 के मु0 न0 36 किला न0 21 व 22 कुल 0.506है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी हनुमान के नाम से खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 हनुमान का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रोहताश कुमार व प्रतिवादी सं0 2 उत्तमसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/3/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 188/2020

1. रोहताश कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी बेर त0 भादरा।

:– **वादी**

ब नाम

1. हनुमान पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बेर त0 भादरा।
2. उत्तमसिंह पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी बेर त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी **: वादी**
वकील श्री भानुप्रतापसिंह **: प्रतिवादीगण**

दिनांक : 05-03-21

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 6 सीएचएन के खाता सं0 133/130 के मु0 न0 24 किला न0 23 व 24, मु0 न0 27 किला न0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17/2, 18 की 2.403है0 नहरी खातेदारी व चक 6 सीएचएन के खाता सं0 134/131 के मु0 न0 36 किला न0 21 व 22 कुल 0.506है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी हनुमान के नाम से खातेदारी दर्ज है। रोही चक 3 जेएसएल के खाता सं0 148/145 के मु0 न0 54 किला न0 21 व 22, मु0 न0 55 किला न0 16, 17/1, 24 व 25, मु0 न0 56 किला न0 4/2, 5 मु0 न0 57 किला न0 1 व 2 कुल 2.060है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 हनुमान के नाम खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता रतीराम की खातेदारी हुआ करती थी। रतीराम को विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 हनुमान ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उप[illegible] प्रतिवादी सं 1 ता 2 [illegible] प्रति[illegible] सं 3 स्टेट को वकील द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया [illegible] पेश किये जाने पर वादी ने तर्क अंकित किया गया। प्रति[illegible] करवाया गया। तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली [illegible]

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु रोहताश कुमार पुत्र हनुमान जाति जांट निवासी बेर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम चक 6 सीएचएन संवत 2074–77 प्रदर्श 1 व 2, जमाबंदी रोही चक 3 जेएसएल संवत 2071–74 प्रदर्श 3,

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढीछानी प्रदर्श 4, जमाबंदी रोही चक 3 जेएसएल संवत 2059 प्रदर्श 5, जमाबंदी चक 6 सीएचएन संवत 2058 प्रदर्श 6 व 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने 6सीएचएन व 3जेएसएल के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में वारिसप्रमाण पत्र में हनुमान के दो पुत्र रोहताश कुमार व उत्तमसिंह के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही चक 3 जेएसएल के खाता सं0 148/145 के मु0 न0 54 किला न0 21 व 22, मु0 न0 55 किला न0 16, 17/1, 24 व 25, मु0 न0 56 किला न0 4/2, 5 मु0 न0 57 किला न0 1 व 2 कुल 2.060है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 हनुमान के नाम यथावत रखते हुए रोही मोजा चक 6 सीएचएन के खाता सं0 133/130 के मु0 न0 24 किला न0 23 व 24, मु0 न0 27 किला न0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17/2, 18 की 2.403है0 नहरी खातेदारी व चक 6 सीएचएन के खाता सं0 134/131 के मु0 न0 36 किला न0 21 व 22 कुल 0.506है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी हनुमान के नाम से खातेदारी दर्ज है में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 6 सीएचएन के खाता सं0 133/130 के मु0 न0 24 किला न0 23 व 24, मु0 न0 27 किला न0 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17/2, 18 की 2.403है0 नहरी खातेदारी व चक 6 सीएचएन के खाता सं0 134/131 के मु0 न0 36 किला न0 21 व 22 कुल 0.506है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी हनुमान के नाम से खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 हनुमान का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रोहताश कुमार व प्रतिवादी सं0 2 उत्तमसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05-03-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:45 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner